(24)

पत्र संख्या–वनभूमि–02/2016 1619 व0प0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 21/03/16

विषय :– पलामू जिला में मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत नया चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण हेतु कुल–4.85 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1359 दिनांक–30.12.2015 एवं पत्रांक–223 दिनांक–18.02.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में पलामू जिला में मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत नया चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण हेतु कुल–4.85 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–09/98–FC दिनांक–25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :–

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान करना प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
(3) यदि NPV के दर में वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई राशि का भुगतान प्रयोक्त अभिकरण को करना होगा।
(4) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के उपरान्त खाली स्थलों पर यथासंभव पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
(5) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि झारखण्ड CAMPA के खाता में जमा करना होगा।
(6) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के क्रम में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
(7) प्रस्ताव में उल्लिखित प्रयोजन से इतर अन्य प्रयोजन के लिए वनभूमि का उपयोग प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जाएगा।
(8) भविष्य में यदि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त शर्त लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसका अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
(9) किसी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उचित माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत जारी दिशा– निदेश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

सैद्धांतिक सहमति के शर्तो के अनुपालन होने के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

o/c

E/16-Vanbhumi Noting Letter 18 (Mukesh)

23

ज्ञापांक–वनभूमि–02 / 2016 व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003 / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–02 / 2016 व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नेपाल हाउस, डोरंडा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–02 / 2016 1619 व0प0, राँची दिनांक– 21/03/16

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोड, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू / वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर / वन संरक्षक, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3
सरकार के उप सचिव

E/16-Vanbhumi Noting Letter-19 (*Mukesh*)